वित्तीय स्वीकृति

संख्या-56/2016/2049/52-3-16-बजट(11)/2016

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उ0प्र0 □□□□

सेवा में,

□□□□,
अल्पसंख्यक कल्याण उ0प्र0
□□□□□

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3, □□□□: दिनांक 22 □□□, 2016

विषयः-वित्तीय वर्ष 2016-17 में अल्पसंख्यक समुदाय के निर्धन/गरीब अभिभावकों की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान की स्वीकृति के संबंध में। (आयोजना□□□)

□□□□,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र 0-1145/52-3-16-□□□(11)/2016 दिनांक 12.4.2016 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अल्पसंख्यक समुदाय के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अभिभावकों की पुत्रियों की शादी के लिए संचालित अनुदान योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के गरीब सदस्यों को आर्थिक सुविधा देने की दृष्टि से गरीबी रेखा में वृद्धि करने के साथ-साथ दी जाने वाली आर्थिक सहायता की धनराशि को भी रू0 10,000/- प्रति पुत्री से बढ़ाकर रू0 20,000/- प्रति पुत्री किये जाने से संबंधित शासनादेश सं0-1941/52-3-16-□□(35)/2016 दिना□□ 29.6.2016 निर्गत किया जा चुका है।

2. उक्त योजना के संचालनार्थ चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय व्ययक में आयोजनागत पक्ष में रू0 82,45,00,000/-(रू0 बयासी करोड़ पैतालिस लाख मात्र) □□ □□ व्ययक प्राविधान है, जिसके सापेक्ष शासनादेश स0-1145/52-3-16- □□□(11)/2016 दिनांक 12.04.2016 द्वारा रू0 25,00,00,000/- की धनराशि स्वीकृत कर पूर्व ही आपके निर्वतन पर रखी जा चुकी है तथा रू0 57,45,00,000/- (रू0 सत्तावन करोड़ पैतालिस लाख मात्र) की धनराशि अवशेष है। इस निमित्त निर्गत शासनादेश सं0-1941/52-3-16-□□(35)/2016 दिनांक 29.6.2016 को दृष्टिगत रखते हुये योजना की सुचारू रूप से संचालन हेतु निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन उक्त अवशेष धनराशि रू0 57,45,00,000/- (रू0 सत्तावन करोड़ पैतालिस लाख मात्र) व्यय करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(1) कोषागार से धनराशि का आहरण मासिक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि से केवल योजनान्तर्गत पात्र बालिकाओं को ही धनराशि का भुगतान किया जायेगा। किसी भी दशा में उक्त धनराशि से किसी अन्य मद में पुनर्विनियोग नहीं किया जायेगा।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय इस संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या-1941/52-3-16-□□(35)/2016 दिनांक 29.6.2016 में निर्गत दिशा-निर्देशों तथा समय-समय □□ निर्गत अन्य नियमों/ शासनादेशों के अन्तर्गत समस्त औपचारिकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये नियमानुसार किया जायेगा।

(4) आवेदकों का चयन निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का विवरण शासन को प्रत्येक 04 माह पर तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र माह मार्च, 2017 की समाप्ति पर शासन को उपलब्ध □□□□ □□□□□

(6) □□□□□ □□ □□□□ (एलाॅॅटमेन्ट मात्र) किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरक□□/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

3. उपरोक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-48 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण- 80-सामान्य-800- □□□□□□□-अन्य व्यय-03-अल्पसंख्यकों का कल्याण -0304-अल्पसंख्यक समुदाय के निर्धन/गरीब अभिभावकों की पुत्री के विवाह हेतु अनुदान-20-□□□□□ □□□□□-सामान्य (□□ □□□) □□□□□□□□□ □□□□□

4. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/□□-1-746/ □□-2016-231/2016, दिनांक 22.03.2016 के प्रस्तर-2(4) में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
□□□

संख्या-2049(1)/52-3-16-तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-□□□□□□□□ (लेखा परीक्ष) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, □□□□□□□

1- □□ □□□□□□ इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: □स पर हस्ताक्षर की आवश्य□□ नहीं □□

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2-□□□□□□□□□ (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, □0प्र0, □□□□□□□□

3-मुख्य कोषाधिकारी, वे□□□□□□□, □□□□□

4-कोषाधिकारी, ज□□□□ □□□, □□□□/वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण □□□□□□□, □0प्र0 □□□□□

5-रजिस्ट्रार, 30प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, 704, □□□□□ □□□, □□□□□

6-अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1

7- कम्प्यूटर आपरेटर, अल्पसंख्यक कल्याण अनु0-3 को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की □□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउद्दीन)
□□□□□□

http://shasanadesh.up.nic.in

1- □□ □□□□□□ इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: □स पर हस्ताक्षर की आवश्यक□□ नहीं □□

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।